



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान
Kadar Nawaz Khan
कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2009/वि.प. (22)/2015/376
दिनांक: 21/05/2015

अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र.: 005/2009/वि.प. (22)/2015/254 दिनांक 31.03.2015 के तारतम्य में 14 मार्च, 2015 को आयोजित विद्या-परिषद की 22^{वीं} बैठक की मद संख्या 11 के अंतर्गत अनुमोदित संशोधित पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक: 45/2009 विश्वविद्यालय में वर्तमान में शोधरत समस्त पी-एच.डी. शोधार्थियों पर लागू होगा।

उपर्युक्त अध्यादेश के अनुच्छेद क्रमांक 7.2 के अनुसार शोधप्रबंध जमा करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी जिसे अनुच्छेद क्रमांक 7.3 के आलोक में अध्ययन-मंडल द्वारा अधिकतम 01 वर्ष (04 वर्ष से आगे) बढ़ाया जा सकेगी तथा अनुच्छेद क्रमांक 10.1 के आलोक में शोधार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दी जानेवाली फेलोशिप की अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान) 21/05/15

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)
4. परीक्षा प्रभारी
5. समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र
6. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. संबंधित फाइल